संख्या-255/2015/667जेपीआर/22-3-15-800(24)/2013

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
बाराबंकी।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2015***

विषय- जिला कारागार, बाराबंकी के बंदी सरदार अली पुत्र श्री सुबराती, निवासी-ग्राम-दरियाबाद, थाना-दरियाबाद, जिला-बाराबंकी को पैरोल वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, बाराबंकी के बंदी सरदार अली पुत्र श्री सुबराती, निवासी-ग्राम-दरियाबाद, थाना-दरियाबाद, जिला-बाराबंकी को शासनादेश संख्या-112/2015/1081जेएल/22-3-15-800(24)/2013, दिनांक 29-04-2015 के क्रम में **एक माह की पैरोल वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-255/2015/667जेपीआर(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in